भाकृअनुप.अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
ICAR-AICRP on Pearl Millet
कृषि विश्वविधालय,मण्डोर, जोधपुर
Agriculture University, Mandor, Jodhpur – 342 304

No: F.Store/PC/MND/2018/15023 Dt: 09-08-2018

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर, जोधपुर के फार्म पर खरीफ 2018 की फसलों में विभिन्न कृषि कार्यों (अनुमानित लागत 8 (आठ) लाख रुपये) को करवाने के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु बन्द लिफाफे में मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/- जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.08.2018 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त कृषि कार्यों को अनुबन्ध पर करवाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु धरोहर राशि 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये दिनांक 25.08.2018 (शनिवार) को सुबह 11.00 बजे तक इस कार्यालय में नगद या बैंक ड्राफ्ट के साथ जो कि परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। उक्त निविदा उसी दिन सुबह 11:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in, एवं www.aicpmip.res.in पर देखी/पढी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

परियोजना समन्वयक

भा.कृ.अ.नु.प.-अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा सूचना क्रमांक एफ./पी.सी./मण्डोर/2018–19/15023 दिनांक 09-08-2018 अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, मण्डोर पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र के संग धरोहर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हज़ार मात्र) रोकड़/बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनाक .... देय/प्रेषित है।

निविदादाता का नाम व पूरा पता : ....
....
....
दूरभाष नम्बर यदि हो : .... मोबाइल नम्बर ....

क्र.सं.	कार्य का विविरण	निविदा दर (निविदा दरें सरकार दर को आधार मानते हुए भरें)
1.	फसलों की बुवाई (ले–आउट/गेप फिलिंग/पौध की रोपाई/पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य सेल्फिग, क्रोसिंग (परागण कार्य में मदद करना), हैण्ड वीडिंग/(खरपतवार निकालना) गुड़ाई करना, तुड़ाई (पिकिंग), बीज निकालना, कटाई, गहाई, औसाई व बीज पैकिंग, प्रयोगशाला व ग्रीनहाउस में कार्य/विभिन्न कृषि प्रयोगों के आंकड़े (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद/फसल को पक्षियों से बचाव व फसलों को खलिहान तक लाना/फार्म व कार्यालय में विभिन्न कार्य (अकुशल श्रमिक)	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....
2.	पी.सी. युनिट कार्यालय,में शौचालय, स्नान घर व अन्य सफाई कार्य (अकुशल श्रमिक)	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....
3.	बिजली एवं सेनेट्री रख–रखाव कार्य (अर्द्ध कुशल श्रमिक)	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....
4.	अर्द्ध कुशल श्रमिक	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....
5.	कुशल श्रमिक	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....
6	उच्च कुशल श्रमिक	कार्य प्रतिदिन 8 घंटे की दर से ....

किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कर या श्रमिक लाभ) निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मिलित होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

भा.कृ.अ.नु.प.-अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सूचना क्रमांक – एफ./पी.सी./मण्डोर/2018–19/15023 दिनांक 09-08-2018

फार्म पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तें

1. मुहरबन्द निविदा परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, मण्डोर, जोधपुर के नाम देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है, जिसके लिफाफे पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए 'श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा' तथा दिनांक 25.08.2018 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें, निविदा अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक के लिए मान्य होगी। आपसी सहमति से यह समयावधि बढाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रुपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट के साथ जो कि परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, मण्डोर, जोधपुर के नाम देय हो, प्रस्तुत करें।
8. बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा को सुबह 11.00 बजे दिनांक 25.08.2018 को बन्द हो जायेगी एवं समय के पश्चात प्राप्त स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसे 11.30 बजे दिनांक 25.08.2018 को खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार परियोजना समन्वयक के पास सुरक्षित रहेगा एवं परियोजना समन्वयक के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
11. कार्य, प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक/कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा।
12. कृषि कार्यों के लिए जरूरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेंती, खुरपी, दंताली, आदि स्वयं के लाने होंगे
13. फार्म कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
14. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को परियोजना का नुकसान माना जायेगा, जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
15. संविदा पर करवाने जाने वाले कार्यों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को परियोजना द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा। ठीक उसी प्रकार अधूरा छोड़ा गया कार्य भी ठेकेदार की जोखिम एवं खर्चे से पूरा करवाया जायेगा।

16. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर प्रतिभूति राशि अथवा भुगतान में से काट लिया जायेगा।

17. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य की मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जायेगी।

18. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी की धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर–अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

19. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है, तो करवाये गये कार्य बकाया भुगतान एवं प्रतिभूति राशि जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

20. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार भुगतान नहीं दिया जायेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय होतो नियमानुसार कटौती निविदादाता से की जायेगी।

21. ठेकेदार श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान फार्म मैनेजर/कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में व समय पर करेगा।

22. अनुबन्धकर्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 100/- का हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्ध वार्षिक राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में कार्यादेश प्राप्त करने से पूर्व जमा करवानी होगी।

23. अनुबन्ध पर रखे गये श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमन्त्रित कर ली जावेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गयी राशि वसूल की जाएगी।

24. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार कोई दायित्व उत्पन्न होता है, तो उसके लिये संबंधित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा परियोजना किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में परियोजना के विरूद्ध की गयी सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

25. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में परियोजना की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में परियोजना प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

26. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

27. RTTP Rules 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

28. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु परियोजना समन्वयक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।

29. निविदादाता/फार्म/एजेन्सी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पेन नम्बर (PAN No.) सेवाकर नम्बर इत्यादि जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए।

परियोजना समन्वयक

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता (ठेकेदार)